

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मार्च 2021—फाल्गुन 12, शक 1942

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. एफ-19-76-2019-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 213 का लोप किया जाए.

No. F 19-76--2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, Rule 213 shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, अपर सचिव.